Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, DEC-JAN, 2023, VOL-11/55

नई शिक्षा नीति 2020 एवं समावेशी शिक्षा

शिवेन्द्र सिंह चन्देल, Ph.D.
असि.प्रो.बी.एड. राठ महाविद्यालय पैठाणी, सम्बद्ध हे.न.ब.ग.विश्वविद्यालय, श्रीनगरए उत्तराखण्ड

Paper Received On: 25 JAN 2023
Peer Reviewed On: 31 JAN 2023
Published On: 1 FEB 2023

Abstract

शिक्षा किसी समाज में चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आज मनुश्य सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर सुशोभित हो रहा है, तो उसका मूल कारण शिक्षा ही है। शिक्षा विकास का मूल आधार है शिक्षा के माध्यम से ही विश्व का वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति सम्भव हुई है। और शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारती है इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो और इसी आधार पर अब शिक्षा का समावेशीकरण हो रहा है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सीखने का समान अवसर मिले हमारा संविधान जाति वर्ग, धर्म एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निशेध करता है, और एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, समावेशन सबके लिए समान स्कूल के प्रत्यय को स्पश्ट करती है। तथा सार्वभौमिक समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को समान जगह देती है। यूनेस्को ने अपने अन्तर्राश्ट्रीय भौक्षिक सम्मेलन जेनेवा (2008) में समावेशी शिक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि समावेशी शिक्षा बालक के भौक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाने वाली हो और समाज के हर वर्ग के बालकों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली हो। इसका उद्देश्य बालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। और राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया गया है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना–: शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति की संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं सामाजिक गुणों के उन्नयन से है। आज सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, समावेशी शिक्षा शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेश आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की बात की जा रही है, जिससे वे बच्चे भी अन्य बच्चों के समान आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसके लिए समय–समय पर विभिन्न शिक्षा समितियों के द्वारा समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाता रहा है परन्तु आज भी उसका परिणाम सन्तोश जनक नहीं है इसी बात को ध्यान में रखकर राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिये गये हैं जिनका क्रियान्वयन करके समाज से अपवंचित या

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मुख्य धारा से दूर रहने वाले बालकों को समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षित करके उनका विकास किया जाय और वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके तथा राश्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

समीक्षा–: शिक्षा समाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है इस दृश्टिकोण से समावेशी शिक्षा न स्वयं अपने में एक लक्ष्य है बल्कि एक समावेशी समाज निर्माण के लिए भी आवश्यक कदम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सपने संजोने, विकास करने और राश्ट्र निर्माण मे योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सुधार करके स्कूली शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों से सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना ही सभी शिक्षा कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। एन0ई0पी0 2022 के अध्याय 6 एवं अध्याय 14 में समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में चर्चा की गयी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियॉ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अन्तरालों को कम करने की दिशा में निरन्तर प्रगति कर रही है। परन्तु आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं जिस कारण से आज भी इन क्षेत्रों में असमानता देखी जा सकती है। विशेशकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूह को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही पिछड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित इन समूहों को (एस0ई0डी0जी0) ने निम्न वर्गो में विभाजित किया है–

1. लिंग– (विशेश रूप से महिला व ट्रांसजेण्डर व्यक्ति)
2. सामाजिक पहचान– (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक)
3. भौगोलिक पहचान– (गॉव, कस्बे, व जिले के छात्र)
4. विशेश आवश्यकता वाले– (सीखने से सम्बन्धित अक्षमता वाले बालक)
5. आर्थिक स्थिति– (निम्न आय परिवार वाले बच्चे, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे बाल तस्करी वाले)

आज स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं। परन्तु फिर भी नामांकन दर में कोई खास वुद्धि नहीं हो पा रही है, विशेशकर माध्यमिक स्तर पर। राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा चाहे वह किसी भी पृश्ठभूमि से हो कैसी भी परिस्थिति में हो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके साथ–साथ बालिकाओं की छात्रावास तक पहॅुच एवं शिक्षा प्राप्त करने कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और यह व्यवस्था विशेशकर सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित बालिकाओं के लिए होगा। एन0ई0पी0 2020 के पैरा 6,2,4 के अनुसार स्कूल और उच्चत्तर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधितव दर पर भी विचार किया गया है और

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उससे विशेश रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जिनका भौक्षिक प्रतिनिधित्व कम है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति जहॉ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की कमी के कारण यह वर्ग प्रभावित हो रहा है एन0ई0पी0 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य इस वर्ग के बच्चों की पहॅुच, भागीदारी और अधिगम परिणामों के द्वारा अन्तरालों को कम करना होगा। स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को कम करने पर अलग से रणनीति बनाने की बात की गयी है। इसके साथ–साथ बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किये गये है। जिसमें जेण्डर समावेशी निधि के स्थापना की बात की गयी है। यह कोश केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे उनको विभिन्न नीतियों योजनाओं तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी और महिलाओं को विद्यालय में सुरक्षापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण मिल सके। जैसे विद्यालय में लड़कियों के लिए भौचालय निर्मित करना स्वच्छता पर ध्यान देना या विद्यालय आने के लिए साइकिल प्रदान करना फीस या किताब, यूनिफार्म के लिए नगद धनराशि हस्तान्तरण करना, जिससे ऐसे परिवार के बच्चे शिक्षा को बीच में छोड़ने के लिए विवश न हो और इस प्रयास से नामांकन में भी वृद्धि होगी। इस तरह यह कोश राज्य को समुदाय पर आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और बड़े स्तर तक ले जाने मे सक्षम होगा, तथा महिला और ट्रांसजेण्डर बच्चों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की पहॅुच को भी सुनिश्चित करेगा।

एन0ई0पी0 2020 में दिव्यांग बच्चों के सन्दर्भ में

एन0ई0पी0 2020 में दिव्यांग बच्चों पर भी विशेश ध्यान दिया गया है, इनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता के रूप में लिया गया है। ऐसे बच्चों को प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जायेगा। यह नीति दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जिसमें समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाशित किया गया है जिसमें सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। वे सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है और विद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ में इसके द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को पूरा करने वाली है। और दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की जायेगी और विशेश प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। गंभीर एवं अधिक अक्षमता वाले बालकों के लिए संसाधन केन्द्र खोले जायेंगे। और कक्षा कक्ष में उनकी सहभागिता व समायोजन सुनिश्चित करने के लिए विशेश आव यकता वाले बालकों को सहायक उपकरण उपयुक्त सहायक तकनीक उपकरण और भाशा शिक्षण सामग्री (ब्रल प्रारूप में) सुलभ पुस्तकें प्रदान की जायेंगी इसके साथ–साथ अधिक आवश्यकता वाले बालकों को गुणवत्ता

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

पूर्ण शिक्षा घर से ही उपलब्ध कराने के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में भी एक विकल्प रहेगा और यह शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के समान ही माना जायेगा और इसमें प्रभावशीलता व दक्षता के परीक्षण हेतु समानता के सिद्धान्त पर आधारित ऑडिट कराया जायेगा। इसके साथ–साथ बालकों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए पाठ्यक्रम को असमर्थ बालाकों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया जायेगा, तथा पारम्परिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एन0टी0ए0 द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। और पुस्तकालय एवं प्रयोग ाालाओं को मजबूत बनाने के लिए पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>अनुसूचित जाति व जनजातियों के सन्दर्भ में एन0ई0पी0 2020</u>

एन0ई0पी0 2020 का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भौक्षणिक विकास की असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रावास ब्रिज कोर्स, फीस माफ करने और छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को बढ़ाना है, जिससे उच्चतर शिक्षा में प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।

इसी तरह से राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा उच्चतर शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए नीतिगत पहलू पर जोर दिया है जैसे–सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों के लिए स्पश्ट लक्ष्यों का निर्धारण, पिछड़े हुए या विकासोन्मुख जनपदों में गुण्वत्तायुक्त सदभाव का निर्माण, उच्चतर शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में जेण्डर सन्तुलन का बढ़ावा देना भारतीय या स्थानीय भाशाओं में शिक्षण को प्राथमिकता, बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामें के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं विकास इसी तरह से उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी शिक्षा में समावेशी व समता मूलक बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

इस तरह से उपरोक्त महत्वपूर्ण सभी नीतियों को देखने के पश्चात हम इस निश्कर्श पर पहुॅचे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा समावेशी शिक्षा को ऐसे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाने की बात करती है जिसके द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने, कौशलों को विकसित करने और आगे बढ़ने के मार्ग में उसकी जन्मजात या पृश्ठभूमि से सम्बन्धित परिस्थितियॉ अवरोधक न हो, और भविश्य में यह नीति भौक्षिक दृश्टिकोण से अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ–:</u>

नई शिक्षा नीति 2020

डॉ0 जसवंत व डॉ0 रवीन्द्रजीत कौर– समावेशी विद्यालय की स्थापना

गुरूसरन दास त्यागी– समावेशी शिक्षा

नई शिक्षा नीति अनुच्छेद 6 व 14

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language